क्रम-संख्या-454(क-2)

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस0एस0पी0/एल0–डब्लू/एन0पी0–91/2008–10

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, सोमवार, 20 अक्टूबर, 2008

आश्विन 28, 1930 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

कार्मिक अनुभाग–2

संख्या 22/16/92टी०सी०–III

लखनऊ, 20 अक्टूबर, 2008

अधिसूचना

प्रकीर्ण

प0 आ0–719

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 की धारा 13 के अधीन प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल उक्त अधिनियम की अनुसूची दो में निम्नलिखित संशोधन करते हैं:–

संशोधनः उक्त अनुसूची में, मद छह में, खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाएगा, अर्थातः–

"(क) ऐसे व्यक्ति जिनकी निरंतर तीन वर्ष की अवधि के लिए सकल वार्षिक आय पाँच लाख रूपये या इससे अधिक हो या जिनके पास धनकर अधिनियम, 1957 में यथा विहित छूट सीमा से अधिक सम्पत्ति हो।"

आज्ञा से,

कुंवर फतेह बहादुर,

प्रमुख सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Contitution, the Governor is pleasd to order the publication of the following English translation of notification no. 22/XVI/92-T.C.III dated October 20, 2008:

No. 22/ XVI /92-T.C.III
Dated Lucknow, October 20, 2008

NOTIFICATION

MISCELLANEOUS

IN exercise of the powers under section 13 of the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act, 1994 (U.P. Act no. 4 of 1994), the Governor is pleased to make the following amendment in Schedule-II to the said Act:-

Amendment : In the said schedule in article VI for clause (a) the following clause shall be subsitituted namely :-

"(a) the persons having gross annual income of rupees five lakh or above or possessing wealth above the exemption limit as prescribed in the wealth Tax Act, 1957 for a period of three consecutive years."

By order,
KUNWAR FATEH BAHADUR,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 626 राजपत्र (हि०)–2008–(1342)–597 प्रतियां (कम्प्यूटर / टी० / आफसेट)।
पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 12 सा० नियुक्ति–2008–(1343)–5000 प्रतियां (कम्प्यूटर / टी० / आफसेट)।

A.P.625 R.P.H Data-8

उत्तर प्रदेश शासन

कार्मिक अनुभाग–2

संख्या 22/16/92–टी०सी०–3 का–2–2008

लखनऊ, दिनांक 20 अक्टूबर, 2008

अधिसूचना संख्या–22/16/92–टी०सी०–3, दिनांक 20 अक्टूबर , 2008 की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ।
3. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
5. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, ऐशबाग लखनऊ को उपर्युक्त अधिसूचना की 02 सत्यापित प्रतियों सहित इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को विधायी परिशिष्ट, भाग 4 खण्ड (ख) (परिनियत आदेश) के अन्तर्गत असाधारण गजट में मुद्रित कराकर (मुख पत्र सहित) अधिसूचना की 5000 प्रतियां तत्काल कार्मिक विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

विनय कुमार श्रीवास्तव,

विशेष सचिव।